# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कल्क्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 65/2020

मुकेश कुमार पुत्र श्री राधाकिशन जाति स्वामी निवासी वी पी ओ 15 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

– – प्रार्थी

**–:: बनाम ::–**

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट**

–:: उपस्थिति ::–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री विक्रम बिश्नाई अधिवक्ता | – – प्रार्थी |
| 2. | पैरोकार राज | – – अप्रार्थी |

**– :: निर्णय ::–** दिनांक :–12.01.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी कृषक पेशा व्यक्ति है वादी का पंजीकृत पता शीर्षक वाद में अंकित है। वाके चक 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/34 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 6, 13 ता 19, 21 ता 25 की कल 2.289है0 व मुरब्बा नम्बर 8 के कला नम्बर 1 ता 9 व किला नम्बर 21/1 में कुल 2.328है0 व मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6/1 से 25/2 कुल 4.959है। कुल तादादी 9.677है। भूमि में वादी प्रार्थी का 645/9677 हिस्सा अर्थात 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज कागजात माल है और इतनी ही भूमि वादी के दोनों भाईयों के नाम है। जमाबन्दी की नकल संलग्न वाद पत्र है। स्व0 राधाकिशन के तीन पुत्र मुकेश कुमार वादी व गौरीशंकर और सीताराम है। मुकेश कुमार वादी परिवार में सबसे छोटा होने से व भला व्यक्ति होने से मुकेश कुमार को भालाराम के नाम से भी पुकारा जाता था परन्तु वास्तविक नाम मुकेश कुमार ही है और दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में भी मुकेश कुमार पुत्र श्री राधाकिशन दर्ज है। वादी का रिहायशी क्षेत्र में भी वास्तविक नाम मुकेश कुमार ही प्रचलित है इस सम्बन्ध में सरपचं ग्राम पंचायत 10 जैड द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। वादी का आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र व वारिस जॉच के लिए तैयार की गई घटना बही की नकल संलग्न वाद पत्र है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का वास्तविक नाम दर्ज न किया जाकर घर में प्रचलित नाम भालाराम पुत्र श्री राधाकिशन दर्ज कर दिया है, परन्तु वादी के कुल दस्तावेज में वास्तविक नाम मुकेश कुमार ही दर्ज है । इस प्रकार दस्तावेज के नाम में व जमाबन्दी के नाम में अन्तर है जबकि भालाराम व मुकेश कुमार दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है । राधाकिशन के भालाराम के नाम से कोई पुत्र नहीं है, ऐसी सूरत में वादी वाके चक 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/54 में खातेदार भालाराम पुत्र राधाकिशन



Scanned with CamScanner

के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र राधाकिशन नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी के दोनों भाई गौरीशंकर व सीताराम व अन्य खातेदार भी वादी का नाम मुकेश कुमार दर्ज करवाने में सहमत है। वादी कृषक पेशा व कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वादी अपने नाम से दर्ज भूमि की काश्त करता आ रहा है। वादी को भूमि सुधार करने के लिए पैसों की आवश्यकता होने पर प्रधानमन्त्री कृषक सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए जमाबन्दी प्राप्त कर आवेदन पत्र ऑनलाईन दर्ज करवाने हेतू गया तब वादी को मालूम हुआ कि जमाबन्दी में वादी का नाम मुकेश कुमार न होकर भालाराम दर्ज है। ऐसी सूरत में वादी अपने दस्तावेजी नाम मुकेश कुमार को ही जमाबन्दी में दर्ज करवाने व इसकी घोषणा करवाने का हकदार व दावेदार है। वादी ने अपना वास्तविक नाम व दस्तावेज पेश कर प्रतिवादी से वाके चक 15 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/54 में दर्ज 645/9677 है। भूमि के खातेदार भालाराम पुत्र श्री राधाकिशन के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र राधाकिशन दर्ज करवाने हेतू कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर आदेश प्राप्त करने का कहा। यही वाद कारण है जो वादी को प्रतिवादी के खिलाफ हासिल हुआ है। वाद वादी कृषिभूमि में वादी के नाम की घोषणा करवाने हेतु है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :—

(क) घोषित किया जावे कि वाके चक 15 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता सख्या 38/54 के क्रम संख्या 5 पर दर्ज भालाराम पुत्र श्री राधाकिशन के नाम के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र राधाकिशन है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो उचित हो न्यायहित में वादी को प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार राजस्व द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अतः नाम शुद्ध किया जाना उचित नहीं है।

## —:: आदेश ::—

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी चक 15 जैड सम्वत् 2070—2073 खता संख्या 38/54 में मु.नं. 3 की कुल 2.2890 हैक., कार्यालय ग्राम पंचायत 10 जैड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मुकेश कुमार, निर्वाचन पहचान पत्र मुकेश कुमार, परिवार राशन कार्ड मुकेश कुमार की प्रति पेश की। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रिकार्ड में लिपिकीय भूल नहीं है एवं प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित नहीं है। अतः एलआर एक्ट 1956 के नियम 136 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner